आमिर सुबहानी भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
AMIR SUBHANI, I.A.S
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना-800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel. : 0612-2215804, Fax : 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

पत्रांक –3/एम०–37/2022सा0प्र0...23061/

सेवा में,

<u>सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव</u>
<u>पुलिस महानिदेशक</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>
<u>सभी जिला पदाधिकारी</u>

पटना, दिनांक ....21.12.. 2022

विषय– बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन/निष्पादन के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार/संचालन पदाधिकारी एवं ऐसे कार्यों के निष्पादन में सम्मिलित पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रावधानित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने का निदेश समय–समय पर निर्गत किया गया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट (https://state.bihar.gov.in/gad) पर उपलब्ध है।

3. साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रियाओं को स्पष्ट एवं सुग्राह्य बनाने हेतु बिपार्ड द्वारा विभागीय कार्यवाही हस्तक भी प्रकाशित किया गया है। इस क्रम में एल0पी0ए0सं0–1203/2019 में दिनांक–29.08.2022 को पारित

न्यायादेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–18976 दिनांक–21.10.2022 द्वारा भी समुचित निदेश निर्गत किया गया है।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0सं0– 1203/2019 बिहार राज्य बनाम सागर कुमार राय एवं अन्य में दिनांक– 29.08.2022 को पारित न्यायादेश का एक अंश निम्नवत् है–

> "12. .... We suggest that disciplinary authority or any other authority who invokes various provisions of CCA Rules, 2005 in a disciplinary proceedings and if he/she/they side track such a mandatory provisions and proceeded to pass order in a disciplinary proceedings, he/she/they must be liable for penal action under the very same set of CCA Rules, 2005. In that regard, State Government must examine whether penal action is warranted against disciplinary/ inquiring/ appellate or appointing
> authority for violation of various provisions of CCA Rules, 2005 in a departmental inquiry."

5. सामान्यतः किसी आरोपित सरकारी सेवकों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं संबंधित विभागीय शाखाओं के वरीय तथा कनीय पदाधिकारियों की प्रमुख भूमिका होती है। विभागीय कार्यवाही संचालन के किसी स्तर पर इस प्रक्रिया में संलग्न पदाधिकारियों द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन समुचित ढंग से नहीं करने अथवा प्रक्रियात्मक कमी होने के कारण विभागीय कार्यवाही दूषित होती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा यदि किसी स्तर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियमों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई किया जाना वांछित होगा।

6. अतः वर्णित स्थिति में उक्त न्यायादेश को दृष्टिपथ रखते हुए निदेश दिया जाता है कि–

(i) अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को उन्मुख (Orient) किया जाय कि वे अनुशासनिक प्राधिकार या संचालन पदाधिकारी की भूमिका का निर्वहन कर रहे प्राधिकारों को यथासमय नियमावली के प्रावधानों की समुचित व्याख्या एवं उनके प्रयोज्यता से अवगत करायें जिससे कि ऐसे मामलों में अनुशासनिक प्राधिकार या संचालन पदाधिकारी के स्तर से कोई प्रक्रियागत/ तकनीकी त्रुटि नहीं हो सके और ऐसे मामलों में सरकार को भी न्यायालय के समक्ष असुविधाजनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इस उद्देश्य से अपने नियंत्रणाधीन अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित कार्यों में संलग्न पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के Capacity Building के लिए प्रासंगिक विषय पर बिपार्ड के स्तर से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना तथा ऐसे प्रशिक्षणों में समय–समय पर ऐसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाये।

(ii) प्रशासी विभागों द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा एक नियमित अन्तराल पर की जाय। समीक्षोपरान्त यदि यह ज्ञात हो कि किसी विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन किसी स्तर पर नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।

विश्वासभाजन,

21.12.22

(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव, बिहार